राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान की गारंटी

शकुंतला भालेराव

माता एवं बाल मृत्युदर घटाने, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि बढ़ाने तथा उन्हें जनता के प्रति जवाबदेय बनाने के उद्देश्य को लेकर 2005 में *राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन* की शुरूआत की गई। जनवरी 2014 में इसे *राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान* का नाम दिया गया। इस अभियान के तहत नौ सालों में *मातृत्व अनुदान जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शारदा ग्राम संजीवनी* जैसी कई योजनाएं सरकार ने लागू की जिसके कारण मातृ एवं बाल मृत्युदर पर नियंत्रण किया गया। गर्भावस्था और संस्थागत जांच के आंकड़ों में भी बढ़त देखी गई है। परन्तु इसके साथ ही अस्पतालों में अच्छी सेवाओं की कमी व फ़िजूल के खर्चों के कारण महिलाओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है।

स्वास्थ्य तंत्र ने इस अभियान के तहत पहली बार 'लोगों के प्रति जवाबदेयी' को विशेष महत्व दिया है। इस लक्ष्य को मद्देनज़र रखकर नौ राज्यों में 'जन आधारित देखरेख और नियोजन' प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसमें ग्राम स्वास्थ्य समिति को प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य की बेहतर और सुघड़ सेवाओं को कार्यान्वित किया जाता है। पर विडम्बना यह है कि हर राज्य में इस 'जन आधारित देखरेख और नियोजन' की प्रक्रिया का स्वरूप अलग-अलग है। कई राज्यों में तो इस प्रक्रिया को ही स्वास्थ्य तंत्र से बाहर कर दिया है जिससे उनकी जवाबदेयी स्थापित न की जा सके। महाराष्ट्र का अनुभव कुछ निराला ही है। अनेकों प्रशासनिक समस्याओं का सामना करने के बावजूद अनेक संगठन मिलकर इस प्रक्रिया को आगे ले जा रहे हैं। यहां तक कि 'जन आधारित देखरेख और नियोजन' के इस विचार को स्वास्थ्य व्यवस्था से आगे ले जाते हुए इसका विस्तार अन्य सरकारी महकमों में भी करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के प्रमुख पड़ावों में अधिकार आधारित नज़रिए के साथ जागरूकता फैलाना, गांव से लेकर राज्य स्तर तक समितियों का गठन, प्रगति कार्ड तैयार

करना तथा सभी मुद्दों पर जानकारी हासिल करके जन सुनवाई के माध्यम से स्वास्थ्य तंत्र से जवाबेदयी मांगना शामिल है। अब तक महाराष्ट्र में 450 जनसुनवाई आयोजित की जा चुकी हैं। लोग अब स्वास्थ्य व्यवस्था से अपनी समस्याओं पर खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं और सरकारी अधिकारी उनको सुनने और उन पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

इतना सब होने के बाद भी कुछ खास सुविधाओं को लेकर सरकार के रवैयों से कुछ निराशा भी हो रही है। हालांकि रेडियो, टीवी, अखबार के माध्यम से सरकारी अस्पतालों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ज़रिए सरकार अपनी सेवाओं का प्रचार कर रही है। "स्वास्थ्य मां स्वस्थ संतान और तुरंत भुगतान", "फ़िक्र नहीं खर्चे की, मुफ़्त सेवा जचगी की" और "102 नं. घुमाइए जचगी के लिए मुफ़्त गाड़ी मंगवाइये" जैसे नारों से लोगों को आकर्षित भी किया जा रहा है। परन्तु अस्पतालों से डॉक्टर गायब हैं और मुफ़्त मिलने वाली गाड़ी के लिए पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। सेवाओं की कमी के कारण सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राईवेट सुविधाओं पर निर्भर होना पड़ रहा है। कई बार तो इन खराब सेवाओं के चलते रास्ते में प्रसव होना या बच्चे की मौत होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। अनेक महिलाओं को *जननी सुरक्षा योजना* का कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है।

एक ओर तो *राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन* मुफ़्त और विशेष सेवाओं की गारंटी देने का दावा करता है वही दूसरी ओर लोगों के अनुभवों की सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। पुणे ज़िले की भोर तहसील में उप ज़िला अस्पताल में सोनोग्राफ़ी जांच के लिए 700 लिए जा रहे हैं। *जननी सुरक्षा योजना* के तहत महिलाओं को पैसे पाने के लिए तरह-तरह के प्रमाण पत्र और कागज़ी कार्यवाही की मांग की जा रही हैं। महिलाओं को 6 माह पुराने चैक दिए जा रहे हैं जिनका पैसा महिलाओं को नहीं मिल पाता। कुछ सरकारी अस्पतालों में जचगी के लिए चार हज़ार रुपयों की मांग की जा रही है। अस्पतालों में सोनोग्राफ़ी सेवाएं रेडियोलॉजिस्ट या मशीन चलाने और ठीक करने वाले कारीगरों का भी अभाव है। कागज़ पर लुभावनी दिखने वाली स्कीमों का कार्यान्वयन बिल्कुल नगण्य है।

जिन इलाकों में 'जन देखरेख व नियोजन प्रक्रिया' चलाई जा रही है वहां हालातों में कुछ सुधार अवश्य देखने को मिला है। इलाके के लोग भी अपने हक़ों की प्रखर मांग कर रहे हैं। पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सेवा अधिकारियों में काम करने की इच्छाशक्ति, पर्याप्त कर्मचारी, रहने की अच्छी व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई और आधारभूत सुविधाओं की मौजूदगी, दवाइयों और मशीनों की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा गांव में एएनएम की सतत मौजूदगी, अस्पतालों में सिज़ेरियन सेवा की उपलब्धि, प्रशिक्षित डॉक्टर व नर्सों की मौजूदगी भी अहम मांगें हैं। लोग अब जागरूक होकर अपने अधिकार और सरकार से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। पर सरकार लोगों के जीवन के साथ न्याय कब करेगी यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में हम स्वास्थ्य व्यवस्था से क्या उम्मीद कर सकते है यह समझना वाकई मुश्किल है।

ठाणे ज़िले की डहाणु तहसील की जन सुनवाई में महिलाओं ने शिकायत की कि वहां के ग्रामीण अस्पताल से बड़ी संख्या में जचगी के मामले नज़दीकी गुजरात राज्य के बलसाड़, सिल्वासा जगहों पर भेजे जाते हैं। वैद्यकीय अधिकारी ने सफ़ाई देते हुए कहा कि ऐसा अच्छी देखभाल और पलंग की सुविधा होने पर ही किया जाता है। जनसुवाई में इस जवाब से ही स्वास्थ्य तंत्र की सेवाओं की सच्चाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इलाके के 14 गांवों की महिलाओं ने इस तरह की शिकायत सामने रखी थी।

शकुंतला भालेराव *महिला व स्वास्थ्य मुद्दों पर सक्रिय कार्यकर्ता हैं।*